मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 09/2025

1. जसवन्त सिंह
2. राजेन्द्र कुमार

पिसरान बद्रीराम जाति मेघवाल साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

ब ना म

1. बदरी पुत्र बीरम जाति मेघवाल (चमार) साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. कविता रानी पुत्री बद्रीराम पत्नी रोशनलाल जाति मेघवाल साकिन सिड फार्म कच्चा अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 28/02/2025

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री कमलेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीबीएन के मु. खाता सं. 14/7 के प.नं. 58/329 (5) किला नं. 1 ता 14 की कुल 3.542 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी में 354/1771 हिस्सा के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं. 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 युएमडब्ल्यू के मु. खाता सं. 78/18 के प.नं. 20/216 (59) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 22, प.नं. 20/217 (63) किला नं. 12 ता 14, 16/1, 16/2, 17 ता 19, 23, 24 की कुल 5.819 हैक. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में 1/5 हिस्सा में वादी सं. 1 का 0.380 हैक. व वादी सं. 2 का 0.328 हैक. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है शेष प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। मुकदमा की डिक्री दिनांक 28/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.03.04 21:07:31 IST
Reason: SelfAttested